26/8/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकील/प्रतिनिधि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न CJM कोर्ट के प्र.सं. 9/2019 के संदर्भ में बाद अवलोकन आदेशार्थ समयाभाव के कारण लिखवाया नहीं जा सका है पत्रावली आदेश हेतु 16-9-19 को पेश हो।

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

16.09.2019 वकुलाय उपस्थित।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण हाजा का शीघ्र निस्तारण कराने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार प्रकरण में विवादित सम्पति के सम्बन्ध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पाली के समक्ष प्रकरण संख्या 9/2019 बअनवान विजय जोशी बनाम अशोक कुमार वगैरा विचाराधीन है, जिसमें जिला कलक्टर, पाली भी बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित हैं। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 के जरिये विवादित सम्पति मौजा ट्रांसपोर्ट नगर पाली में स्थित भूखण्ड संख्या 42, जिसके पडौस इस प्रकार है – पूर्व में भूखण्ड संख्या 43, पश्चिम में भूखण्ड संख्या 41, उत्तर में पालिका भूमि, दक्षिण में ट्रक पार्किंग व आम रास्ता। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट नगर पाली में स्थित भूखण्ड संख्या 43, जिसके पडौस इस प्रकार है – पूर्व में भूखण्ड संख्या 44, पश्चिम में भूखण्ड संख्या 42, उत्तर में पालिका भूमि, दक्षिण में ट्रक पार्किंग व आम रास्ता एवं ट्रांसपोर्ट नगर पाली में स्थित भूखण्ड संख्या 45, जिसके पडौस इस प्रकार है – पूर्व में भूखण्ड संख्या 46, पश्चिम में भूखण्ड संख्या 44, उत्तर में पालिका भूमि, दक्षिण में ट्रक पार्किंग व आम रास्ता। इन भूखण्ड संख्या 42, 43 व 45 के सम्बन्ध में स्थगन जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी हैं। इस आदेश से जिला कलक्टर, पाली बाध्य होने के कारण प्रकरण हाजा में धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट, 2002 के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि प्रकरण हाजा में धारा 14 के तहत किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है, तो माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पाली द्वारा प्रकरण संख्या 9/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होगा। इस परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी बैंक ऑफ बदौड़ा, शाखा कार्यालय, पाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट, 2002 पर वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से खारिज़ किया जाता हैं। प्रार्थी बैंक इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार संयोजित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तथा स्थगन आदेश खारिज़ होने की दशा में पुनः नये सिरे से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेशचन्द जैन)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली